

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-. Bhind (M.P)

Case No. 238/11

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant को. गुप्ता

वायक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग

Name , parentage, caste and address of accused

अशोक-2 S/O राम प्रसाद शर्मा उमर 41 वर्ष 2/0
सी. पी. - कालोरी मुरार खालिया (म.प.)

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 2-2-17 को समय लगभग 15.25 बजे, स्थान वाल्मीकि मन्दिर 21.43 अंतर्गत थाना 21.43 में वाहन मो. नं. 204584 को मो. नं. 204584 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे आहत अशोक-2 को साधारण उपहति कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि भा.द.वि. की धारा 273, 337, 174 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

A.K.Gupta
 Judicial Magistrate First Class
 Gohad distt. Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।

Amrind

A.K.Gupta
 Judicial Magistrate First Class
 Gohad distt. Bhind (M.P.)


The offence proved. If any and-in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 26-10-19 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भादवि की धारा 229, 337 IPC के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी 229, 337 IPC को भा.द.वि. की धारा के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भादवि की धारा 71 एवं दण्ड की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रुपये ~~1000/-~~ (1000/- रु. हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तपुदा सम्पत्ति वाहन सिफर कार को नं० 207 00 4084 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित


(A.K. Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)